292

राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

न्यायालय माननीय [illegible]

प्रकरण कमांक /2018 द्वितीय अपील निगरानी - 4624/2018/भिण्ड/भू०रा०

श्रीमती श्याम कुमारी पत्नि श्री गुडडू बोहरे जाति ब्राम्हण, आयु 40 वर्ष, व्यवसाय कृषि निवासी बिरगवा रानी तहसील अटेर जिला भिण्ड म0प्र0

--- अपीलांट

बनाम

हरनारायण पुत्र श्री बंशीधर जाति ब्राम्हण निवासी बिरगवारानी तहसील अटेर जिला भिण्ड म0प्र0

--- रिस्पोडेन्ट

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व सहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 8-2-2018 जो कि न्यायालय अपील कलेक्टर जिला भिण्ड द्वारा प्रकरण कमांक 0109/निगरानी/2017-18 व उनवान श्याम कुमारी बनाम हरनाराण मे पारित कर अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील क्षेत्राधिकार के अभाव में निरस्त किया गया। उपरोक्त अपील न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अटेर जिला भिण्ड द्वारा प्रकरण कमांक 50/05-06 अ0मा0 हरनारायण बनाम श्रीमती श्यामा कुमारी मे पारित आदेश दिनांक 27-3-08 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी थी।

इस अपील के द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अटेर जिला भिण्ड द्वारा प्रकरण कमांक 50/05-06 अ0मा0 हरनारायण बनाम श्रीमती श्यामा कुमारी मे पारित आदेश दिनांक 27-3-08 को चैलेंज किया जा रहा है।

माननीय न्यायालय,

अपीलार्थी की ओर से अपील निम्नप्रकार प्रस्तुत है -

292

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4624/2018/भिण्ड/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त चंबल संभाग मुरैना को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	